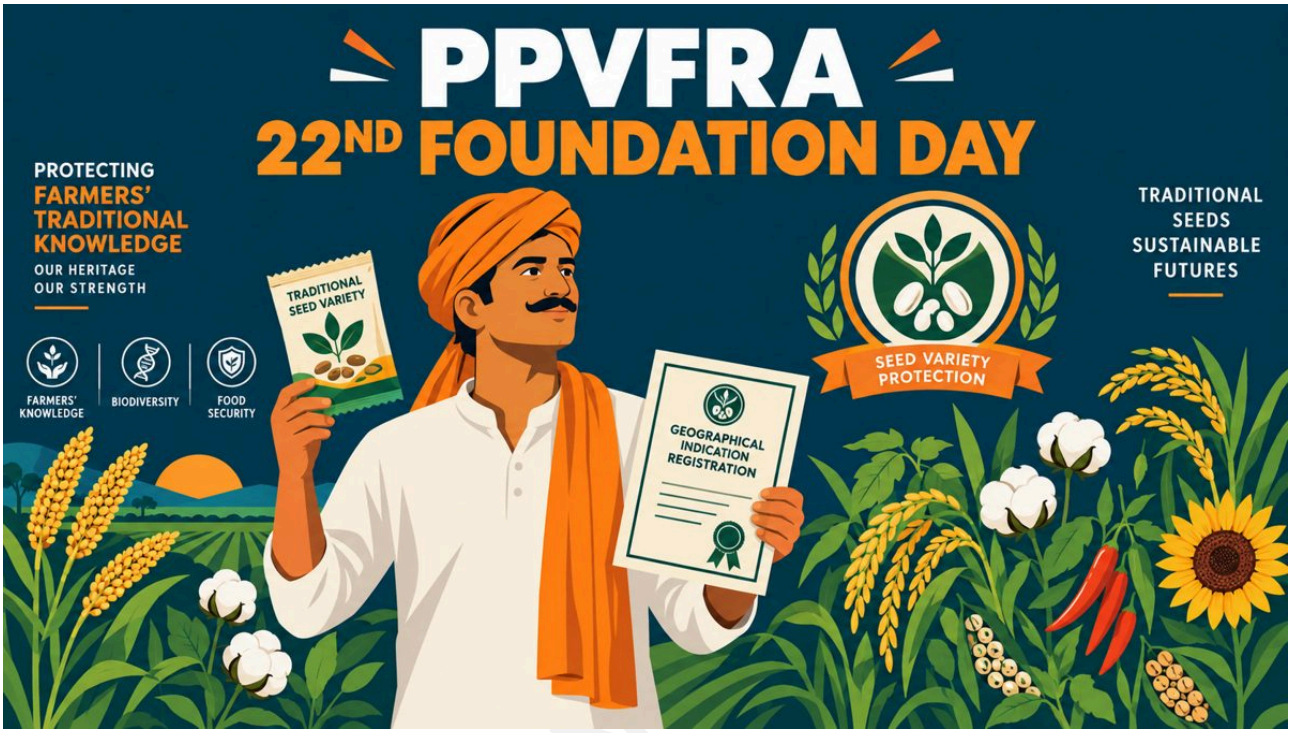
PPVFRA का 22वां स्थापना दिवस: किसानों के पारंपरिक ज्ञान को विज्ञान से जोड़ने का संदेश



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

प्रकाशित: 14 नवंबर 2026 · pcsmantra.com

खबरों में क्यों

12 नवंबर 2026: पादप किस्म संरक्षण एवं किसान अधिकार प्राधिकरण (PPVFRA) ने अपना **22वां स्थापना दिवस** मनाया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव **डॉ पी.के. मिश्र** ने किसानों के **पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक अनुसंधान और बाजारों से जोड़ने** पर जोर दिया। अवसर पर कृषि-जैवविविधता के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए 'प्लांट जीनोम सेवियर' (Saviour) सम्मान भी दिए गए।

PPVFRA क्या है

परिचय: पादप किस्म संरक्षण एवं किसान अधिकार अधिनियम, 2001 के तहत **11 नवंबर 2005** को स्थापित सांविधिक (statutory) निकाय।

नोडल मंत्रालय और मुख्यालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन; मुख्यालय नई दिल्ली।

उद्देश्य: नई पादप किस्मों के विकास पर प्रजनकों को बौद्धिक संपदा अधिकार देना; पारंपरिक किस्मों और जैवविविधता के संरक्षण के लिए किसानों-समुदायों को मान्यता व पुरस्कार; पंजीकृत किस्मों के फार्म-सेव्ड बीज को बचाने, बोने, आदान-प्रदान और बेचने के किसान-अधिकारों की रक्षा; अनुसंधान-नवाचार को बढ़ावा; और पादप किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर (NRPV) बनाए रखना।

संरचना और कार्य

संरचना: अध्यक्ष प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी होता है; सदस्य-संख्या 15 – आठ पदेन (विभागों/मंत्रालयों से), तीन राज्य कृषि विश्वविद्यालयों व राज्य सरकारों से, और किसान, जनजातीय संगठन, बीज उद्योग तथा महिला संगठनों से एक-एक प्रतिनिधि केंद्र

सरकार नामित करती है। रजिस्ट्रार जनरल पदेन सदस्य-सचिव होता है।

प्रमुख कार्य: नई किस्मों, आवश्यक रूप से व्युत्पन्न किस्मों (EDV) और विद्यमान (extant) किस्मों का पंजीकरण; सभी पादप-किस्मों का अनिवार्य सूचीकरण; आर्थिक पौधों और उनके जंगली रिश्तेदारों के पादप-आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण; राष्ट्रीय रजिस्टर और राष्ट्रीय जीन बैंक का रखरखाव।

परीक्षा की दृष्टि से

प्रश्न स्थापना-तिथि (11 नवंबर 2005), मूल अधिनियम (PPV&FR Act, 2001), मंत्रालय (कृषि एवं किसान कल्याण), सदस्य-संख्या (15), EDV की परिभाषा और 'प्लांट जीनोम सेवियर' सम्मानों पर बन सकते हैं। भारत TRIPS के अनुपालन में अपना **सुई जेनेरिस** (स्वतंत्र) कानून रखने वाला दुर्लभ देश है – यह तथ्य मेन्स के लिए महत्वपूर्ण है।

> **संबंधित लेख:** किसान-अधिकार की एक और चर्चा पढ़ें: वन अधिकार अधिनियम की भूमि: दालें-तिलहन से आजीविका सुरक्षा तक

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. PPVFRA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह PPV&FR अधिनियम, 2001 के तहत स्थापित सांविधिक निकाय है

2. यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है

3. इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) तीनों
(d) कोई नहीं

> **उत्तर और व्याख्या**
>
> **उत्तर: (b)**
>
> कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है – यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है।

प्रश्न 2. PPVFRA में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है?

(a) 10
(b) 12
(c) 15
(d) 20

> **उत्तर और व्याख्या**
>
> **उत्तर: (c)**
>
> प्राधिकरण में 15 सदस्य होते हैं – आठ पदेन, तीन राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/राज्य सरकारों से और चार (किसान, जनजातीय संगठन, बीज उद्योग, महिला संगठन) केंद्र सरकार द्वारा नामित।

मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: PPV&FR अधिनियम, 2001 प्रजनकों के अधिकारों और किसानों के अधिकारों के बीच संतुलन का प्रयास है। PPVFRA की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में: 22वां स्थापना दिवस और पी.के. मिश्र का 'पारंपरिक ज्ञान + विज्ञान + बाजार' का संदेश – संदर्भ।

मुख्य भाग में: संतुलन – प्रजनकों को IPR (नई किस्मों पर), किसानों को बीज-बचत/विनिमय/बिक्री के अधिकार; सुई जेनेरिस कानून (UPOV नहीं); सेवियर पुरस्कारों से संरक्षण-प्रोत्साहन; NRPV और जीन बैंक से दस्तावेज़ीकरण। चुनौतियाँ – पंजीकरण की रफ्तार, किसानों में जागरूकता की कमी, कॉरपोरेट-बीज एकाधिकार का जोखिम, जलवायु-लचीली देसी किस्मों की सुरक्षा।

निष्कर्ष में: किसान-केंद्रित IPR ढाँचा खाद्य-सुरक्षा और जैवविविधता दोनों का संरक्षक है – क्रियान्वयन की गहराई बढ़ानी होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: PPVFRA पादप किस्म संरक्षण एवं किसान अधिकार अधिनियम, 2001 के तहत 11 नवंबर 2005 को स्थापित सांविधिक निकाय है; यह नई किस्मों का पंजीकरण और किसान-अधिकारों की रक्षा करता है।

प्रश्न: PPVFRA किस अधिनियम के तहत बना?

पादप किस्म संरक्षण एवं किसान अधिकार (PPV&FR) अधिनियम, 2001 के तहत; स्थापना 11 नवंबर 2005।

प्रश्न: किसानों को कौन-से अधिकार मिलते हैं?

पंजीकृत किस्मों के फार्म-सेव्ड बीज को बचाने, उपयोग करने, बोने, पुनः बोने, आदान-प्रदान करने और बेचने के अधिकार।

प्रश्न: 'प्लांट जीनोम सेवियर' सम्मान क्या हैं?

पारंपरिक किस्मों और कृषि-जैवविविधता के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसानों-समुदायों को दिए जाने वाले PPVFRA के पुरस्कार।

स्रोत

- PIB (हिंदी): PPVFRA का 22वां स्थापना दिवस (PRID 2335454), 12 नवंबर 2026
- PTI: Link farmers' traditional knowledge with scientific research, markets – Principal Secretary to PM, 12 नवंबर 2026

इस लेख को डाउनलोड करें: